RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
नवम्बर
06
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

By Ankit Avasthi Sir

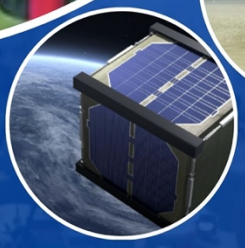

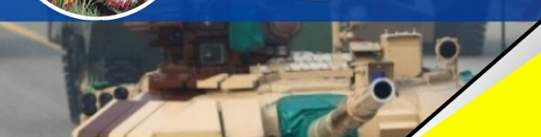

नमो ड्रोन दीदी योजना/ Namo Drone Didi Scheme

हाल ही में सरकार ने **नमो ड्रोन दीदी योजना** के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना केंद्रीय स्तर पर विभिन्न विभागों के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा संचालित होगी।

नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में:

- **प्रकार**: यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है और **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** का हिस्सा है।
- **उद्देश्य**: कृषि में किराये पर ड्रोन उपलब्ध कराकर **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना। इसका लक्ष्य 2024-2026 तक देशभर में 14,500 SHGs को सहायता प्रदान करना है।
- **मंत्रालय**: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्रमुख विशेषताएं:

- **वित्तीय सहायता**: ड्रोन खरीदने के लिए SHGs को 80% सब्सिडी (8 लाख रुपये तक) दी जाएगी।
- **अतिरिक्त वित्तपोषण**: **कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (AIF)** के माध्यम से 3% ब्याज अनुदान के साथ ऋण उपलब्ध है।
- **ड्रोन पैकेज**: प्रत्येक पैकेज में स्प्रे असेंबली, बैटरी, कैमरा, चार्जर, माप उपकरण, अतिरिक्त बैटरियां और प्रोपेलर शामिल हैं, जिससे प्रति दिन 20 एकड़ तक कवरेज संभव होगा।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**: प्रत्येक SHG एक ड्रोन पायलट को नामित करेगी, जिसे 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें पोषक तत्वों और कीटनाशकों के छिड़काव जैसे कृषि कार्यों पर ध्यान केंद्रित होगा।
- **कार्यान्वयन और निगरानी**: प्रमुख उर्वरक कंपनियां राज्य विभागों, ड्रोन निर्माताओं, और SHG संघों के साथ मिलकर योजना का कार्यान्वयन करेंगी।
- **IT-आधारित ड्रोन पोर्टल**: एक IT-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल, जो ड्रोन उपयोग, निधि संवितरण, और वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को सुगम बनाएगा।

योजना का महत्व:

1. **महिलाओं को सशक्त बनाना**: कृषि ड्रोन सेवाओं के माध्यम से आय सृजन के अवसर प्रदान करके महिला SHGs को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
2. **कृषि का आधुनिकीकरण**: उर्वरक और कीटनाशकों के कुशल उपयोग से फसल की पैदावार और उत्पादकता में वृद्धि।
3. **किसानों की लागत में कमी**: ड्रोन से समय और श्रम की बचत होती है, जिससे उन्नत कृषि पद्धतियाँ अधिक किफायती बनती हैं।
4. **ग्रामीण कौशल विकास**: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देते हुए SHG सदस्यों को ड्रोन संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण।
5. **सरकारी पहलों का समर्थन**: DAY-NRLM और किसान ड्रोन जैसी पहलों के साथ तालमेल बनाकर ग्रामीण सशक्तीकरण और टिकाऊ कृषि के लक्ष्यों को बढ़ावा देना।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

1. **वित्तीय बोझ**: योजना का 80% कवर होने के बावजूद SHGs को शेष 20% को ऋण के माध्यम से सुरक्षित करना होगा, जो कमजोर समूहों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।
2. **तकनीकी जटिलता**: 15-दिवसीय प्रशिक्षण जटिल कृषि कार्यों को संभालने के लिए अपर्याप्त हो सकता है।
3. **नौकरशाही बाधाएँ**: प्रमुख उर्वरक कंपनियों पर निर्भरता से योजना का कार्यान्वयन धीमा हो सकता है।
4. **पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिम**: जैव विविधता पर हवाई छिड़काव से प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं, खासकर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।

सिफारिशें:

- **वित्तीय सहायता में वृद्धि**: SHGs पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए शेष 20% के लिए अनुदान या सब्सिडी पर विचार।
- **विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रम**: तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक और विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान।
- **पर्यावरणीय सुरक्षा दिशा-निर्देश**: जैव विविधता और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हवाई कीटनाशक अनुप्रयोग हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश।

समर्पित माल गलियारा (DFC)/ Dedicated Freight Corridor (DFC)

न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में बताया गया कि समर्पित माल गलियारों (Dedicated Freight Corridors, DFCs) का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अध्ययन के अनुसार, DFC ने माल ढुलाई लागत में कमी की है, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्रों और कम प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले राज्यों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। 2018-19 और 2022-23 के बीच DFC ने भारतीय रेलवे के राजस्व में 2.94% की वृद्धि की, और माल ढुलाई की लागत में कमी के कारण वस्तुओं की कीमतों में 0.5% की कमी आई है।

समर्पित माल गलियारे (DFC) क्या हैं?

DFC ऐसे मार्ग हैं जो विशेष रूप से माल परिवहन के लिए समर्पित हैं। ये गलियारे उच्च क्षमता और तीव्र गति वाले परिवहन को सुगम बनाते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होता है और निर्यात-आयात गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। DFC पहल की घोषणा वित्त वर्ष 2005-06 के रेल बजट में की गई थी, और इसके लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की स्थापना की गई।

नवीनतम घटनाक्रम:

2006 में रेल मंत्रालय ने दो प्रमुख DFC की घोषणा की:

- **पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (EDFC):** यह सोननगर, बिहार से साहनेवाल, पंजाब तक 1,337 किमी तक फैला है और पूर्ण हो चुका है।
- **पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC):** यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई से दादरी, उत्तर प्रदेश तक 1,506 किमी लंबा है, जिसमें 93% हिस्से का संचालन हो रहा है और दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इनके अलावा, चार और DFC प्रस्तावित हैं:

1. पूर्व-पश्चिम DFC: कोलकाता से मुंबई
2. उत्तर-दक्षिण DFC: दिल्ली से चेन्नई
3. पूर्वी तट DFC: खड़गपुर से विजयवाड़ा
4. दक्षिणी DFC: चेन्नई से गोवा

DFC की आवश्यकता:

1. **भीड़भाड़ कम करना:** भारतीय रेलवे का स्वर्णिम चतुर्भुज (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़ता है) पर अत्यधिक दबाव है। DFC की मदद से इस भीड़भाड़ को कम किया जा सकता है।
2. **माल ढुलाई दक्षता में सुधार:** समर्पित ट्रैक के माध्यम से माल की तीव्र और निर्बाध आवाजाही संभव होती है, जिससे यात्रा समय कम होता है।
3. **आर्थिक प्रभाव:** DFC का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, उद्योगों को लाभ और रेलवे के लिए राजस्व में वृद्धि करना है।
4. **माल ढुलाई लागत और वस्तुओं की कीमतों में कमी:** DFC से कार्यकुशलता में सुधार, परिवहन लागत में कमी, और वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL):

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। इसे विशेष रूप से देश में माल परिवहन को तेज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के विकास और संचालन के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।

उद्देश्य: DFCCIL का मुख्य उद्देश्य 3,306 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) की योजना बनाना और उसे पूरा करना है। इसमें मुख्य रूप से दो कॉरिडोर शामिल हैं:

मुख्य कार्य:

- **योजना और विकास:** फ्रेट कॉरिडोर के लिए योजना बनाना और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना।
- **मौद्रिक संसाधनों की तैनाती:** वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन और उपयोग सुनिश्चित करना।
- **निर्माण और रखरखाव:** फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करना और इसके संरचनात्मक रखरखाव की जिम्मेदारी निभाना।
- **संचालन:** इस कॉरिडोर पर निर्बाध माल परिवहन सुनिश्चित करना।

बाघ अभयारण्यों के लिए गांवों के स्थानांतरण पर बहस/ Debate on relocation of villages for tiger reserves

बाघ अभयारण्यों से गांवों के स्थानांतरण का मुद्दा जनजातीय अधिकारों और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को उजागर करता है।

प्रमुख बिंदु:

1. **बाघ संरक्षण और स्थानांतरण की आवश्यकता**:
   - बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एनटीसीए ने सुझाव दिया है कि बाघ अभयारण्यों के कोर क्षेत्रों से गांवों को स्थानांतरित किया जाए, ताकि बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सुरक्षित रखा जा सके।
   - अब तक, 251 गांवों के 25,007 परिवारों को स्वैच्छिक रूप से स्थानांतरित किया जा चुका है।
2. **कानूनी और प्रक्रियागत आवश्यकताएँ**:
   - स्थानांतरण वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के तहत ग्राम सभा की सहमति पर आधारित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन न हो, यह स्थानांतरण स्वैच्छिक और उनकी सहमति से किया जाना चाहिए।
   - एनटीसीए के स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम (वीवीआरपी) के तहत, स्थानांतरण से पहले राज्य सरकार को यह प्रमाणित करना होगा कि ग्रामीणों की उपस्थिति बाघों और उनके आवास को नुकसान पहुंचा रही है, और सह-अस्तित्व का कोई अन्य विकल्प नहीं है।
3. **मुआवजे और पुनर्वास पैकेज**:
   - 2021 में मुआवजे की राशि बढ़ाकर ₹15 लाख प्रति परिवार कर दी गई है। पुनर्वास पैकेज में भूमि, आवास, वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।
   - एनसीएसटी ने यह भी सिफारिश की है कि मुआवजा पैकेज 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, ताकि मुआवजा जनजातीय अधिकारों के अनुकूल और पर्याप्त हो।

जनजातीय अधिकारों का दृष्टिकोण:

- एनटीसीए की स्थानांतरण संबंधी सलाह पर आदिवासी अधिकार समूहों का विरोध है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि स्थानांतरण कानूनी प्रक्रिया और जनजातीय सहमति के आधार पर होना चाहिए।
- आदिवासी समूहों का मानना है कि एनटीसीए का दृष्टिकोण वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें स्वैच्छिक स्थानांतरण की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है।

एनसीएसटी का हस्तक्षेप और संतुलन की आवश्यकता:

- एनसीएसटी ने एनटीसीए से पुनर्वास संबंधी अद्यतन जानकारी मांगी है और मुआवजे पर अपनी 2018 की सिफारिशों का पालन करने की मांग की है।
- एनसीएसटी का उद्देश्य एक ऐसा पुनर्वास ढांचा तैयार करना है जो न केवल बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करता है बल्कि जनजातीय समुदायों के अधिकारों का भी सम्मान करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST):

NCST का गठन 2004 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन कर और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 338ए जोड़कर किया गया था। इससे पहले, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों के लिए एक ही संस्था थी। इस संशोधन ने इसे दो अलग-अलग आयोगों में विभाजित कर दिया:

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

इस प्रकार, NCST एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य:

- अनुच्छेद 338ए के तहत, NCST को अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख और उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त है। यह अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा निर्धारित या सरकार द्वारा लागू कानूनों और आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

समुद्री संरक्षित क्षेत्र / Marine Protected Areas - MPAs

हाल के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि उचित प्रबंधन और प्रशासन से एमपीए जैव विविधता को संरक्षित करने और पोषण सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas - MPAs) जैव विविधता के संरक्षण और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अध्ययन की मुख्य बातें:

1. **वैश्विक पकड़ में योगदान**: एमपीए वैश्विक मछली पकड़ने की कुल पकड़ का 13.6%, मत्स्य राजस्व का 14% और पोषक आपूर्ति का 13.7% योगदान करते हैं।
2. **अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) से पकड़**: वैश्विक पकड़ का 7% इन क्षेत्रों से आता है, जो समुद्री संसाधनों की सुरक्षा में सहायक है।
3. **पोषण की दृष्टि से कमजोर तटीय समुदायों पर प्रभाव**: एमपीए का विकास तटीय समुदायों में मानव स्वास्थ्य और पोषण में सुधार कर सकता है, जिससे उन्हें पोषण सुरक्षा मिल सकती है।

एमपीए का महत्व:

- **प्राकृतिक पुनरुद्धार**: एमपीए प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के प्राकृतिक पुनरुद्धार में सहायक होते हैं और आनुवंशिक सामग्री का भंडार बने रहते हैं।
- **समुद्री प्रजातियों के लिए शरणस्थल**: ये क्षेत्र अत्यधिक मछली पकड़ने, आवास विनाश, और प्रदूषण से समुद्री प्रजातियों को सुरक्षित रखते हैं।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान**: एमपीए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आधार रेखा के रूप में कार्य करते हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी की बेहतर समझ विकसित होती है।
- **मनोरंजन और पर्यटन**: एमपीए प्रकृति-आधारित पर्यटन और मनोरंजन का भी केंद्र होते हैं, जो आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन में योगदान**: एमपीए जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में सहायक होते हैं, जिससे महासागरों की जलवायु स्थिरता बनी रहती है।

एमपीए के संरक्षण में चुनौतियाँ:

- **विनियमों का पालन**: एमपीए में कड़े नियमों का पालन कराना कठिन होता है।
- **संसाधनों की आवश्यकता**: पर्याप्त वित्तीय और मानवीय संसाधनों की कमी से इन क्षेत्रों की सुरक्षा प्रभावित होती है।
- **स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका**: एमपीए में सख्त नियमों के कारण स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर असर पड़ता है।

निष्कर्ष: एमपीए समुद्री पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों का उचित प्रबंधन समुद्री जीवन को संरक्षित रखने, पोषण सुरक्षा में सुधार करने और स्थानीय समुदायों की आजीविका को संतुलित करने में सहायक हो सकता है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर एमपीए के संरक्षण को बढ़ावा देकर हम महासागरों के स्वास्थ्य और वैश्विक जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं।

वैश्विक पहल:

- **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा**: इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक महासागरों और भूमि के 30% हिस्से को संरक्षित करना है।
- **उच्च सागर संधि**: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के समुद्री क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यह समझौता किया गया है।

भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र:

भारत में भी कई एमपीए स्थापित किए गए हैं जो समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने में सहायक हैं, जैसे:

- **मन्नार की खाड़ी समुद्री पार्क** (तमिलनाडु)
- **लोथियन द्वीप** (पश्चिम बंगाल)
- **गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य** (ओडिशा)

जी-20 की DRRWG मंत्रिस्तरीय बैठक 2024/ G-20 DRRWG Ministerial Meeting 2024

भारत ने ब्राजील में आयोजित जी-20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (DRRWG) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसमें जी-20 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने एक महत्वपूर्ण घोषणापत्र को अपनाया। इस घोषणापत्र में सेंडाइ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अधिक कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

जी-20 के DRRWG के बारे में:

भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत 2023 में स्थापित DRRWG का उद्देश्य जी-20 कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना है। इसके पाँच प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

1. **पूर्व चेतावनी प्रणाली**: आपदाओं की पूर्व सूचना प्रदान करना।
2. **आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना**: आपदाओं का सामना कर सकने वाली संरचनाओं का निर्माण।
3. **डीआरआर वित्तपोषण**: आपदा न्यूनीकरण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना।
4. **आपदा पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण**: आपदा के बाद के राहत कार्यों को मजबूत करना।
5. **प्रकृति-आधारित समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण**: प्राकृतिक समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करके जोखिम न्यूनीकरण करना।

सेंडाइ फ्रेमवर्क (2015-30) के बारे में:

सेंडाइ फ्रेमवर्क 2015 में जापान के सेंडाइ में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। यह एक 15-वर्षीय गैर-बाध्यकारी समझौता है जो 7 मुख्य लक्ष्यों पर केंद्रित है और ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (2005-15) का उन्नत संस्करण है। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम और उससे होने वाले जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य तथा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिसंपत्तियों को होने वाले नुकसान को कम करना है।

सेंडाइ फ्रेमवर्क की प्राथमिकताएं:

1. **आपदा जोखिम को समझना**: जोखिमों की जानकारी और जागरूकता बढ़ाना।
2. **आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना**: आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना।
3. **लचीलेपन के लिए डीआरआर में निवेश**: आपदा से निपटने की क्षमता को बढ़ाना।
4. **प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी**: आपदाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिए तैयारी करना।
5. **पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में "बेहतर पुनर्निर्माण"**: आपदा के बाद स्थायी और सुरक्षित पुनर्निर्माण।

जी-20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (DRRWG) के बारे में:

वर्ष 2023 में भारत की **जी-20 अध्यक्षता** के अंतर्गत स्थापित **आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह** (Disaster Risk Reduction Working Group) का उद्देश्य **जी-20** के कार्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना और **विकासशील देशों** को आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना है। यह समूह आपदा जोखिम को कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए **अच्छे तरीकों** और **विशेषज्ञता** के आदान-प्रदान के साथ-साथ **मार्गदर्शन दस्तावेजों** और **सामान्य दृष्टिकोणों** का विकास करता है। इस प्रयास में **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों** और **वैश्विक वित्तीय प्रणाली** में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।

कार्य समूह की प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

यह कार्य समूह **आपदा जोखिम न्यूनीकरण** के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:

1. **असमानताओं का मुकाबला और कमजोरियों को कम करना** - सामाजिक असमानताओं और विभिन्न कमजोरियों को कम करके आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करना।
2. **सार्वभौमिक कवरेज हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली** - सभी के लिए पहले से चेतावनी देने वाली प्रणाली का निर्माण, ताकि संभावित आपदाओं से नागरिकों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके।
3. **आपदा एवं जलवायु अनुकूल अवसंरचना** - ऐसी अवसंरचना का निर्माण करना जो आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सह सके और अधिक लचीली हो।
4. **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तपोषण रूपरेखा** - आपदा जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय स्रोतों और योजनाओं का विकास।
5. **आपदा पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण** - आपदाओं के बाद पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास, और पुनर्निर्माण के प्रयासों को प्रभावी बनाने पर केंद्रित गतिविधियाँ।
6. **प्राकृतिक समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण** - पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण।

भारत में थोरियम और 1 GeV कण त्वरक/ Thorium and 1 GeV particle accelerators in India

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने **1 GeV कण त्वरक** विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जो भारत के विशाल **थोरियम भंडार** का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कण त्वरक का उद्देश्य थोरियम को ऐसे परमाणु ईंधन में बदलना है जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक हो सके।

कण त्वरक क्या है?

कण त्वरक एक ऐसा उन्नत यंत्र है जो उप-परमाणु कणों (जैसे **प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन**) को उच्च गति पर ले जाकर **थोरियम** को **यूरेनियम-233** में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संभव बनाता है। **यूरेनियम-233** एक विखंडनीय पदार्थ है, जिसका परमाणु रिएक्टरों में उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

वर्तमान में भारत में कई **कण त्वरक** (जैसे **साइक्लोट्रॉन** और **सिंक्रोट्रॉन**) हैं, लेकिन ये सभी **30 मेगा इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (MeV)** श्रेणी में आते हैं। **1 GeV त्वरक** की स्थापना भारत में **उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन** उत्पादन के लिए आवश्यक कदम है।

थोरियम के लाभ और भारत का दृष्टिकोण:

थोरियम भंडार का उपयोग करते हुए भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को और मजबूत कर सकता है।

1. यूरेनियम-233 का प्रजनन: थोरियम को विकिरणित करने से **यूरेनियम-233** उत्पन्न होता है, जो **त्रि-स्तरीय परमाणु रणनीति** के अनुरूप है। यह परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण विखंडनीय सामग्री का स्रोत बनेगा।

2. उच्च बर्न-अप कॉन्फ़िगरेशन: थोरियम को **यूरेनियम** के साथ रिएक्टरों में जोड़कर अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

3. उच्च ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक: **1 GeV त्वरक** के माध्यम से न्यूट्रॉन का उत्पादन कर **यूरेनियम-233** को प्रजनित करना संभव होगा। इस तकनीक का उपयोग **त्वरक-चालित सबक्रिटिकल रिएक्टर प्रणाली (ADSS)** के माध्यम से कुशल ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है।

दूसरे नियोजित त्वरक: अनुसंधान के लिए एक नई दिशा

1. **वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 1 GeV त्वरक**: न्यूट्रॉन उत्पादन कर **स्पैलेशन न्यूट्रॉन स्रोत** का अध्ययन करना।
2. **सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत**: एक्स-रे या यूवी प्रकाश उत्पन्न करना, जो कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए लाभकारी है।

वैश्विक स्तर पर महत्व:

1 GeV कण त्वरक की स्थापना से भारत उन्नत कण त्वरक प्रौद्योगिकी में **दुनिया के चुनिंदा देशों** में शामिल हो जाएगा। यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देगा।

ANEEL ईंधन: थोरियम के प्रभावी उपयोग की दिशा में

ANEEL (एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ), शिकागो स्थित **क्लीन कोर थोरियम एनर्जी** कंपनी द्वारा विकसित एक नया **ईंधन मिश्रण** है। यह विशेष **HALEU (हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम)** ईंधन थोरियम और यूरेनियम का संयोजन है।

थोरियम-आधारित ऊर्जा का लाभ:

1. **परमाणु अपशिष्ट में कमी**: ANEEL ईंधन के उपयोग से परमाणु कचरे में कमी आती है।
2. **अधिक समय तक कार्यक्षमता**: ANEEL ईंधन अधिक समय तक चलता है और कुशलता से जलता है।
3. **हथियारों के उपयोग के लिए अनुपयुक्त**: ANEEL का व्यय किया गया ईंधन हथियार बनाने में उपयोगी नहीं होता।

बुनियादी ढांचागत चुनौतियाँ और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता:

HALEU ईंधन का उत्पादन अभी वैश्विक स्तर पर सीमित है। इसके वाणिज्यिक उत्पादन में रूस और चीन का प्रभुत्व है। भारत को अपने थोरियम भंडार का लाभ उठाने के लिए HALEU उत्पादन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना होगा।

भारत के थोरियम भंडार: ऊर्जा का असीम स्रोत:

भारत के पास **थोरियम का सबसे बड़ा भंडार** है, जिसका अनुमानित मूल्य **1.07 मिलियन टन** है। यह भंडार **भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं** को एक सदी से अधिक समय तक पूरा कर सकता है। केरल के समुद्र तटों पर पाई जाने वाली **मोनाज़ाइट रेत** थोरियम का प्रमुख स्रोत है।

केंद्रीय जल आयोग
Central Water Commission

केंद्रीय जल आयोग (CWC) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के **प्रभाव से हिमालयी क्षेत्र** में ग्लेशियल झीलों और अन्य जल निकायों का क्षेत्रफल 2011 से 2024 तक **10.81%** तक बढ़ गया है। यह वृद्धि एक गंभीर चुनौती है क्योंकि इससे ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की बाढ़ से पहाड़ी क्षेत्रों में भारी विनाश हो सकता है, जिससे नीचे के इलाकों में रहने वाले लोगों की जान-माल को गंभीर खतरा है।

केंद्रीय जल आयोग (CWC) का परिचय:

केंद्रीय जल आयोग भारत का एक प्रमुख **तकनीकी संगठन** है, जो देश के **जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग** के लिए योजनाओं को आरंभ, समन्वय और प्रगति प्रदान करने का कार्य करता है। यह वर्तमान में **जल शक्ति मंत्रालय** के अंतर्गत आता है और इसका **मुख्यालय नई दिल्ली** में स्थित है।

केंद्रीय जल आयोग के मुख्य कार्य:

केंद्रीय जल आयोग के कार्यों का दायरा अत्यधिक व्यापक है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

1. **बाढ़ नियंत्रण**: देशभर में बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना।
2. **सिंचाई और जल विद्युत**: जल संसाधनों का उपयोग कर **सिंचाई और बिजली उत्पादन** में वृद्धि करना।
3. **नौवहन एवं पेयजल आपूर्ति**: जलमार्ग परिवहन और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
4. **योजनाओं की निगरानी**: आवश्यकता अनुसार जल संसाधनों पर विभिन्न योजनाओं की जांच, निर्माण और क्रियान्वयन।

संगठनात्मक संरचना:

केंद्रीय जल आयोग का नेतृत्व एक **अध्यक्ष** करते हैं, जिन्हें भारत सरकार के पदेन सचिव का दर्जा प्राप्त है। यह आयोग **तीन शाखाओं** में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक शाखा एक पूर्णकालिक सदस्य के अधीन है, जिनका दर्जा भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष है:

- **डिजाइन और अनुसंधान (D&R) विंग**
- **नदी प्रबंधन (RM) विंग**
- **जल योजना और परियोजनाएं (WP&P) विंग**

राष्ट्रीय जल अकादमी, जो पुणे में स्थित है, आयोग के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य स्तर के इंजीनियरों को **प्रशिक्षण** प्रदान करती है। यह अकादमी सीधे आयोग के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है।

एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024
Asia-Pacific Climate Report 2024

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे गंभीर आर्थिक प्रभावों को रेखांकित करते हुए "एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024" जारी की है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव:

- **जीडीपी में संभावित गिरावट:** उच्च ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के तहत, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2070 तक GDP में 17% तक की कमी देखी जा सकती है, और वर्ष 2100 तक यह गिरावट 41% तक हो सकती है।
- **भारत में प्रभाव:** भारत में वर्ष 2070 तक GDP में 24.7% की गिरावट होने का अनुमान है। बांग्लादेश, वियतनाम, और इंडोनेशिया भी गंभीर आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं।

2. आर्थिक घाटे के प्रमुख कारण:

- **समुद्र स्तर में वृद्धि:** वर्ष 2070 तक, समुद्र स्तर में वृद्धि से 300 मिलियन लोगों को तटीय बाढ़ का खतरा होगा, और वार्षिक क्षति 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है।
- **श्रम उत्पादकता में कमी:** श्रम उत्पादकता में गिरावट से क्षेत्र की GDP में 4.9% और भारत की GDP में 11.6% की हानि हो सकती है।
- **शीतलन की मांग:** तापमान बढ़ने से क्षेत्रीय GDP में 3.3% की कमी हो सकती है, जबकि भारत में यह गिरावट 5.1% तक हो सकती है।

3. प्राकृतिक आपदाओं पर प्रभाव:

- **नदी बाढ़:** वर्ष 2070 तक वार्षिक नदी बाढ़ से APAC क्षेत्र में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। भारत में आवासीय और वाणिज्यिक क्षति की लागत क्रमशः 400 और 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है।
- **तूफान और वर्षा:** उष्णकटिबंधीय तूफानों और तीव्र वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बिगड़ सकती है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में।

4. वनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: वर्ष 2070 तक, उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत APAC क्षेत्र में वन उत्पादकता में 10-30% की गिरावट हो सकती है। भारत, वियतनाम और दक्षिण-पूर्व एशिया को 25% से अधिक नुकसान हो सकता है।

5. सुधार के लिए आवश्यक कदम:

- **नेट-ज़ीरो लक्ष्य और अंतराल:** APAC की 44 अर्थव्यवस्थाओं में से 36 ने नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन केवल चार देशों ने इसे कानूनी रूप दिया है। भारत और चीन ने क्रमशः 2070 और 2060 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
- **जलवायु वित्त:** क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सालाना 102-431 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जबकि 2021-2022 में केवल 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन बाजार:** रिपोर्ट नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों को अपनाने पर बल देती है।

तुमैनी महोत्सव
Tumaini Festival

तुमैनी महोत्सव, मलावी के दज़ालेका शरणार्थी शिविर में आयोजित होने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक आयोजन है, जो संगीत, कला और शिल्प के माध्यम से शरणार्थियों और स्थानीय समुदाय के बीच एकजुटता और आशा को बढ़ावा देता है।

- यह महोत्सव 2014 में शुरू हुआ था और दुनिया का एकमात्र ऐसा महोत्सव है जो शरणार्थी शिविर में आयोजित होता है।
- शरणार्थियों द्वारा आयोजित और प्रबंधित इस महोत्सव में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे संगीत, नृत्य, रंगमंच, और दृश्य कलाओं की प्रस्तुतियाँ होती हैं, जिसमें दुनिया भर से हजारों लोग और कलाकार भाग लेते हैं।
- 2024 में, इसे **कल्चर्स ऑफ रेजिस्टेंस अवार्ड** (सीओआर अवार्ड) से सम्मानित किया गया, जो इसके सांस्कृतिक योगदान और एकता की भावना को मान्यता देता है।

मलावी के बारे में:

- **स्थिति:** दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में एक स्थल-रुद्ध देश।
- **क्षेत्रफल:** 118,484 वर्ग किमी।
- **राजधानी:** लिलोंग्वे
- **भाषाएँ:** अंग्रेज़ी और चिचेवा
- **मुद्रा:** मलावी क्वाचा (MWK)
- **विशेषता:** ऊँचे मैदान और न्यासा झील (मलावी झील) जैसी प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध।
- **अर्थव्यवस्था:** मुख्यत: कृषि पर निर्भर, जो 80% से अधिक आबादी को रोजगार देती है।

दज़ालेका शरणार्थी शिविर:

मलावी का यह एकमात्र स्थायी शरणार्थी शिविर 1994 में स्थापित किया गया था, जो बुरुंडी, रवांडा, और डीआरसी से आए विस्थापित लोगों को आश्रय प्रदान करता है। यहाँ सोमालिया, इथियोपिया और अन्य देशों से भी शरणार्थी बसे हुए हैं।

गोविंद सागर झील
Govind Sagar Lake

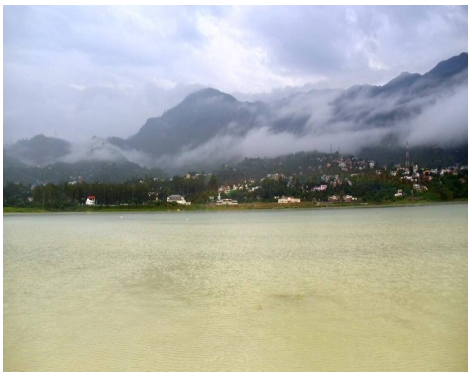

गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है, जिसका निर्माण सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध से हुआ है।

- यह झील दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के सम्मान में नामित की गई है।
- भाखड़ा बांध, जो अपनी नींव से 225.5 मीटर ऊँचा है, विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्व बांधों में से एक है और गोविंद सागर झील का मुख्य स्रोत है।

गोविंद सागर झील की विशेषताएँ:

- **लंबाई:** लगभग 90 किमी
- **क्षेत्रफल:** लगभग 170 वर्ग किमी
- **गहराई:** अधिकतम 163.07 मीटर और औसत 55 मीटर, जो इसे दुनिया की सबसे गहरी मानव निर्मित झीलों में से एक बनाती है।
- **सिंचाई और जल आपूर्ति:** यह झील हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करती है, जिससे क्षेत्रीय कृषि को बढ़ावा मिलता है।
- **प्राकृतिक सुंदरता:** यह झील हरी-भरी पहाड़ियों और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई है।

वनस्पति और जीव-जंतु:

- 1962 में इसे 'जलपक्षी शरणस्थल' का दर्जा दिया गया।
- यहाँ पैंथर, भेड़िया, चौसिंगा, सांभर, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय, चिंकारा और जंगली सूअर जैसे अनेक जानवर मिलते हैं।
- इसके अलावा, यह मछलियों की पचास से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें महाशीर, गिड, सिंघारा, और मिरर कार्प शामिल हैं।

गुरुत्व बांध (Gravity Dam):

गुरुत्व बांध एक प्रकार का बांध है, जो अपने भार और द्रव्यमान पर निर्भर करते हुए पानी को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बांध पानी के क्षैतिज दबाव का प्रतिकार करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करता है। गुरुत्व बांध का उपयोग जल आपूर्ति, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, और जलविद्युत उत्पादन के लिए होता है और ये दुनिया के सबसे पुराने और सामान्य बांधों में से एक हैं।

लिग्नोसैट
Lignosat

लिग्नोसैट दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है, जिसे जापानी शोधकर्ताओं ने चंद्रमा और मंगल पर अन्वेषण के लिए लकड़ी के उपयोग के प्रारंभिक परीक्षण के रूप में अंतरिक्ष में भेजा है। इसका नाम लैटिन में "लकड़ी" को दर्शाने वाले शब्द "लिग्नो" और "सैटेलाइट" को मिलाकर रखा गया है। इसे क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी कंपनी के अनुसंधानकर्ताओं ने मिलकर विकसित किया है।

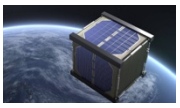

लिग्नोसैट की विशेषताएँ:

- **निर्माण सामग्री:** लिग्नोसैट का निर्माण विशेष रूप से चुनी गई मैगनोलिया की लकड़ी से किया गया है, जो अपनी स्थायित्व और अनुकूलनशीलता के लिए जानी जाती है।
- **प्रक्षेपण और परीक्षण:** इसे स्पेसएक्स रॉकेट के माध्यम से कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) भेजा जाएगा। वहाँ जापानी प्रयोग मॉड्यूल से इसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, जहाँ इसकी स्थायित्व और शक्ति का परीक्षण किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** लिग्नोसैट का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में लकड़ी की पर्यावरण-मित्रता और लागत-प्रभावशीलता का परीक्षण करना है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष में रहने के दौरान नवीकरणीय सामग्री का उपयोग संभव हो सके।

लकड़ी के उपग्रह का महत्त्व:

- लकड़ी के उपग्रह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल होते हैं, क्योंकि वे वायुमंडल में पुन: प्रवेश के दौरान जल जाते हैं, जिससे धातु कणों का निर्माण नहीं होता और वायु प्रदूषण की संभावना कम होती है।
- यह लागत-प्रभावी होने के साथ-साथ पृथ्वी पर भी कम पर्यावरणीय प्रभाव डालता है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक टिकाऊ बना सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS):

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) इतिहास की सबसे जटिल और विशाल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है, जो मानवता द्वारा बाह्य अंतरिक्ष में स्थापित की गई सबसे बड़ी संरचना है। यह एक उन्नत प्रयोगशाला, उच्च उपग्रहीय उड़ान के लिए एक परीक्षण केंद्र, और खगोलीय, पर्यावरणीय, और भूवैज्ञानिक अनुसंधान का मंच है। ISS को भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मील का पत्थर भी माना जाता है, जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी स्थान के निर्माण की दिशा में पहला कदम है।

यानादी जनजाति
Yanadi Tribe

यानादी आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, जिसे भारत के सबसे कमजोर आदिवासी समूहों में से एक माना जाता है। इस समुदाय के लोग गरीबी और सामाजिक बहिष्कार जैसी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। यानादी समुदाय की बड़ी संख्या पूर्वी तटीय राज्य आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मैदानी इलाकों में पाई जाती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **भाषा:** यानादी की मातृभाषा तेलुगु है।
- **पारंपरिक जीविका:** यानादी लोग शिकार, संग्रहण और कृषि में संलग्न रहते आए हैं। भूमि और उसके संसाधनों का गहरा ज्ञान उनके पारंपरिक जीवन का हिस्सा है।
- **पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान:** यानादी समुदाय के पास औषधीय पौधों का समृद्ध ज्ञान है, जिसका उपयोग वे रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं और विशिष्ट बीमारियों के उपचार में करते हैं, जैसे जठरांत्र, श्वसन, त्वचा संबंधी और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएँ। उनके पास सांप के काटने का इलाज करने का भी विशेष ज्ञान है।
- **धार्मिक मान्यताएँ और त्यौहार:** वनस्पतियों से जुड़ी उनकी कई धार्मिक मान्यताएँ और उत्सव हैं, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।
- **धीम्सा नृत्य:** यह एक पारंपरिक नृत्य है जो यानादी समुदाय द्वारा त्योहारों और विशेष अवसरों पर किया जाता है।

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) और अनुच्छेद 342 के तहत कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है।
- ये जनजातियाँ विशेष अधिकारों और संरक्षणों की पात्र हैं।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं, जिससे वे विशेष सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

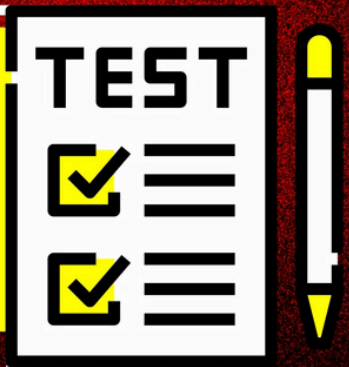

Only 99 Per Year

Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY POLITY

1499 RS

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !